

समाहरणालय

(जिला जन-सम्पर्क इकाई)

बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली-2019 के तहत पत्रकार सम्मान पेंशन/पारिवारिक सम्मान पेंशन से आच्छादित लाभुकों से संबंधित जीवन प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
जो बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली-2019 के अधीन विभागीय कार्यालय
आदेश सं०-....., दिनांक-..... पठित ज्ञापांक-....., दिनांक-
..... द्वारा पत्रकार सम्मान पेंशन/पारिवारिक सम्मान पेंशन से आच्छादित
है, दिनांक-..... को जीवित हैं।

पेंशनर का हस्ताक्षर

जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

पेंशनर का नाम एवं पूर्ण पता
(मोबाईल नं० सहित)

नाम :-
पदनाम :-
दिनांक :-

ज्ञापांक-...../

दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- श्री/श्रीमती (पेंशनर)
को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को
सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी,
जिला का नाम-.....